न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश, बुलन्दशहर।

उपस्थितः श्रीमती नुपूर, उ0प्र0न्यायिक सेवा।

मूलवाद संख्या 01 सन् 2018

देवेन्द्र कुमार उम्र 50 वर्ष पुत्र स्व. सरदार सिंह निवासी ग्राम हजरतपुर पूठरी परगना व तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर। हाल निवासी–गली नं.3 महाराणा प्रताप नगर, पहासू अडडा खुरजा जिला बुलन्दशहर।

––––– वादी।

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कलैक्टर महोदय, परगना बरन तहसील व जिला बुलन्दशहर।

––प्रतिवादी ।

निर्णय

वादी द्वारा यह वाद प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणात्मक आज्ञप्ति हेतु संस्थित किया गया है।

वादी का वादपत्र में संक्षेप में कथन है कि वह ग्राम हजरतपुर पूठरी परगना व तहसील खुर्जा, जिला बुलन्दशहर का निवासी तथा हाल निवासी–गली नं. 3 महाराणा प्रताप नगर, पहासू अडडा खुरजा जिला बुलन्दशहर का स्थायी निवासी है। उसने वर्तमान वाद न्यायालय के समक्ष अपने भाई देवेश कुमार की मृत्यु घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। देवेश कुमार उसका सगा भाई था, जो मजदूर व्यक्ति था तथा ड्राईवरी कर अपना जीविकोपार्जन करता था। उसके भाई देवेश कुमार को मौ. यूसुफ पुत्र अजमेरी निवासी जाफराबाद देहली चौधरी ट्रान्सपोर्ट पहासू बस स्टेण्ड के पास कस्बा खुर्जा परगना व तहसील खुर्जा माह अप्रैल 2002 में बहला फुसलाकर ट्रक पर ड्राईवरी कराने के बहाने हापुड ले गया जिसके बाद से उसके भाई देवेश कुमार का कोई पता नही लग सका है। जिस सम्बन्ध में उसके बिचले भाई कौशल चौधरी ने प्रार्थना पत्र थाना खुर्जा नगर पर दिया, जिसकी प्राप्ति भी थाने से प्राप्त कर ली गयी तथा कौशल चौधरी की भी मृत्य सन् 2015 में हो चुकी है। उसके भाई देवेश कुमार के लापता होने की सूचना पर सम्बन्धित थाने द्वारा प्रकरण की जांच की गयी परन्तु कोई पता उसके भाई का न लग सका। उसके भाई को वर्ष 2002 से लगभग 14 वर्ष

पूर्ण हो चुके है, जिसके बाद से देवेश कुमार को आज तक न तो किसी ने देखा है , न ही उसके बारे में किसी ने कुछ सुना है, न ही उसके जीवित होने का कोई प्रमाण ही मिला है।उसके भाई देवेश कुमार अविवाहित होने के कारण पत्नी व बच्चे नही है। वह देवेश कुमार का सगा भाई है इसलिये वह मुकदमें को दायर करने के लिये सक्षम है। वह अपने भाई देवेश कुमार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। अब उसके भाई को लापता हुए 7 वर्ष की अवधि से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है। वर्तमान परिस्थितियेां में न्यायालय द्वारा उसके भाई की सिविल मृत्यु घोषित किया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। प्रतिवादी को पक्ष बनाने से पूर्व धारा–80 जाप्ता दीवानी का नोटिस दिनांक 24.09.2016 को भेज दिया गया है, जिसकी वाद दाखिल करने हेतु अधिनियमानुसार निर्धारित समयावधि बीतने के पश्चात वाद दाखिल किया जा रहा है। अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी के भाई देवेश कुमार पुत्र सरदार सिंह निवासी ग्राम हजरतपुर पूठरी परगना व तहसील खुर्जा जिला बुलन्दशहर की सिविल मृत्यु घोषित करने की कृपा करे तथा सम्बन्धित ब्लाक को भी निर्देश दिया जाये कि वह आदेश का अनुपालन मृत्यु रजिस्टर में अकित करे।

प्रतिवादी की ओर से वादी के उक्त कथनों पर अपना प्रतिवादपत्र 13ए1 दाखिल किया गया। जिसमे उसने कथन किया है कि वादी यदि उक्त वर्णित कथनों का लाभ लेना चाहता है तो स्वंय ठोसपूर्वक सिद्ध करे। वादी कथित नोटिस की वैधता व तामीली को ठोसपूर्वक सिद्ध करे। प्रतिवादी को कोई नोटिस धारा–80(1) सी0पी0सी0 का नही दिया गया। वाद धारा–80(1) सी0पी0सी0 से बाधित है। वादी को कोई वाद कारण प्राप्त नही है। वाद घोषणा के अनुतोष हेतु बिना कॉन्सीक्वेशियल अनुतोष मांगने कानूनन पोषणीय नही है। वादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आया है असल तथ्यों को छिपाकर वाद योजित किया है। वादी ने सरदार सिंह के समस्त वारिसों को बसाज वाद में पक्षकार नही बनाया है। वाद में आवश्यक पक्षकार न बनाये जाने का दोष है। अतः वाद पोषणीय नही है। सव्यय खण्डित होने योग्य है।

उभय पक्षेां के अभिवचनों के आधार पर न्यायालय द्वारा दिनांक 04.10.2017 को निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये –

1— क्या वादी वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर देवेश कुमार को उसके लापता के आधार पर मृतक घोषित करा पाने के अधिकारी है?

2— क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?

3— क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

4— क्या वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है?

5— वादी किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी हैं?

वादी की ओर से अपने कथनें के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 8सी1 से नोटिस की प्रति 9सी1, रजिस्ट्री रसीद 10सी1, कोतवाली खुर्जा नगर को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति 11सी1, दाखिल किये गये तथा मौखिक साक्ष्य में वादी की ओर से पी.डब्लू.1 के रूप में देवेन्द्र कुमार पी.डब्लू. 2 के रूप में सत्य प्रकाश को परीक्षित कराया गया।

मैने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या—1:

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी वादपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर देवेश कुमार को उसके लापता के आधार पर मृतक घोषित करा पाने के अधिकारी है?

यह वाद बिन्दु वादी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है। अतः इस वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है।

इस सम्बन्ध में वादी का अपने वादपत्र में कथन है कि उसने यह वाद अपने भाई देवेश कुमार की मृत्यु घोषित करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। देवेश कुमार उसका सगा भाई था, जो मजदूर व्यक्ति था और ड्राईवरी करके अपना जीविकोपार्जन करता था। उसके भाई देवेश कुमार को मौ. यूसुफ माह अप्रैल 2002 में बहला फुसलाकर ट्रक पर ड्राईवरी करवाने हापुड ले गया था। उसके बाद से उसके भाई देवेश कुमार का कोई पता नही लग सका है। मौ0 यूसुफ से मालूमात करने पर भी देवेश कुमार का कोई पता नही लग सका है। इस सम्बन्ध में उसके बिचले भाई कौशल चौधरी ने प्रार्थना पत्र थाना खुर्जा नगर पर दिया, जिसकी प्राप्ति भी थाने से प्राप्त कर ली गयी और

कौशल चौधरी की भी मृत्य सन् 2015 में हो गयी है। सम्बन्धित थाने द्वारा प्रकरण की जांच की गयी परन्तु उसके भाई का कोई पता नही लग सका। उसके भाई देवेश कुमार को वर्ष 2002 से लापता हुये लगभग 14 वर्ष पूर्ण हो चुके है, जिसके बाद से देवेश कुमार को आज तक न तो किसी ने देखा है , न ही उसके बारे में किसी ने कुछ सुना है, न ही उसके जीवित होने का कोई प्रमाण ही मिला है। उसका भाई देवेश कुमार अविवाहित था उसके कोई पत्नी व बच्चे नही है।

प्रतिवादी ने अपने जबाब दावे में कथन किया है कि वादी ने असल तथ्यों को छिपाकर वाद योजित किया है। वादी ने सरदार सिंह के समस्त वारिसों को वाद में पक्षकार नही बनाया है इसलिये वाद पोषणीय नही है। वादी ने वाद घोषणा के अनुतोष हेतु कोई कॉन्सीक्वेशियल अनुतोष नही मांगा है इसलिये वाद पोषणीय नही है।

वादी ने प्रलेखीय साक्ष्य में सूची 8सी1 से उत्तर प्रदेश सरकार को दिये गये नोटिस दिनांकित 24.09.2016 की प्रतिलिपि 9सी1, थाने में दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांकित 21.08.2002 की छाया प्रति 11सी1, लगायी है।

वादी देवेन्द्र कुमार ने मौखिक साक्ष्य में स्वंय को पी.डब्लू.1 के रूप में परीक्षित कराया है और कहा है कि वह देवेश कुमार का भाई है। देवेश कुमार माह अप्रैल 2002 से गायब है, तब से उसका कोई पता नही चला है। उसके भाई कौशल चौघरी ने इसकी सूचना थाना खुर्जा नगर में दी थी। कौशल चौधरी की भी मृत्यु सन् 2015 में हो चुकी है। सम्बन्धित थाने द्वारा प्रकरण की जांच की गयी परन्तु उसके भाई का कोई पता नही लग सका। उसके भाई देवेश कुमार को आज तक न तेा किसी ने देखा है, न ही उसके बारे में किसी ने कुछ सुना है, न ही उसके जीवित होने का कोई प्रमाण ही मिला है। देवेश कुमार अविवाहित था, उसके कोई पत्नी व बच्चे नही थे। वादी की स्थिति अत्यधिक दयनीय है तथा देवेश कुमार के नाम की भूमि में नामान्तरण में कानूनी अडचन आ रही है इसलिये उसके भाई देवेश कुमार की सिविल मृत्यु घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में कथन किया है कि सरदार सिंह के तीन बच्चे है, लडकी कोई नही है। देवेश कुमार, कौशल, देवेन्द्र है। देवेश कुमार लापता है। देवेश कुमार ड्राईवर है, गाडी चलाता है, वह ट्रक चलाता है।उसे खुर्जा में किसी ट्रान्सपोर्ट कम्पनी में

ड्राईवर नही रखा था। वह दिहाडी पर ट्रक चलाता था। जब वह 10–12 साल का था तभी से वह ट्रक चलाता था। देवेश अपनी जीविका ट्रक ड्राईवरी से ही चलाता था। देवेश खुर्जा में रहता था। देवेश 10–15 दिन बाद नौकरी से घर आता था। उसने अपना वारिसान प्रमाण पत्र पत्रावली में नही दिया है। उसकी माता जी की भी मृत्यु दो वर्ष पहले हो चुकी है। उनके पास वारिसान प्रमाण पत्र नही है। जानकारी के अभाव में उसने वारिसान प्रमाण नही बनवाया है। मौ0 युसुफ हापुड का ड्राईवर था तथा देवेश के साथ ट्रक ड्राईवरी करता था। मौ0 युसुफ कहां का रहने वाला है, उसे जानकारी नही है। देवेश सन् 2002 में लापता हुआ था, महीना उसे पता नही है। उसके भाई देवेश कुमार को मौ0 युसुफ बहला फुसलाकर ट्रक पर ड्राईवरी के लिए ले गया था। मौ0 युसुफ के साथ वह ट्रक ड्राईवरी के लिए हापुड गया था। उसके भाई कौशल ने कोतवाली खुर्जा में मौ0 युसुफ के खिलाफ देवेश कुमार के गायब करने का प्रार्थना पत्र दिया था। किस दिनांक को दिया था उसे पता नही है। एफ0आई0आर0 नही करायी गयी है। देवेश कुमार के गायब होने का विज्ञापन दिया था, किस अखवार में दिया था तथा किस दिनांक को दिया, उसे पता नही है। पत्रावली में शामिल नही किया है।

वादी की ओर से अपने कथनों के समर्थन में पी.डब्लू.2 सत्य प्रकाश लौर को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपने मौखिक साक्ष्य में कथन किया है कि वह वादी मुकदमा का सगा साढू है और उसके परिवार के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी रखता है। देवेश कुमार माह अप्रैल 2002 से गायब है, तब से उसका कोई पता नही चला है। कौशल चौघरी ने इसकी सूचना थाना खुर्जा नगर में दी थी। कौशल चौधरी की भी मृत्यु सन् 2015 में हो चुकी है। देवेन्द्र कुमार के भाई देवेश कुमार को मौहम्मद युसुफ माह अप्रैल 2002 में बहला फुसला कर ट्रक पर ड्राईवरी कराने के बहाने हापुड ले गया था, जिसके बाद से देवेश कुमार का कोई पता नही लग सका है। देवेश कुमार का मौहम्मद युसुफ से मालूमात करने पर भी कोई पता नही लग सका । देवेश कुमार माह अप्रैल सन् 2002 से लापता है, जिसको लगभग 15 वर्ष पूर्ण हो चुके है, जिसके बाद में देवेश कुमार को आज तक न तो किसी ने देखा है न ही उसके बारे में किसी ने कुछ सुना है, न ही उसके जीवित होने का कोई प्रमाण ही मिला है। उक्त साक्षी ने अपनी जिरह में

कथन किया है कि देवेन्द्र कुमार उसके साढु लगते है, वही उसे गवाही के लिए यहां लाये है। यह दावा वादी ने देवेश कुमार के लापता होने के बाद उनकी सिविल मृत्यु की घोषणा हेतु दायर किया है। देवेन्द्र तीन भाई है, बहन नही है। देवेश सन् 2002 में लापता हुआ था, महीना व सन् पता नही है। देवेश मानसिक व शारीरिक रूप से स्वस्थ था। देवेश को युसुफ नाम का ड्राइवर ले गया था, कहा ले गया था, यह उसे ध्यान नही है। शायद हापुड की तरफ कहकर ले गया था। उसके बाद देवेश लौटकर नही आया। वह युसुफ को नही जानता । उसे देवेन्द्र कुमार वादी ने बताया था। युसुफ के खिलाफ वादी ने एफ. आई. आर. नही करायी थी। देवेश के गायब होने की भी एफ.आई.आर. थाने में नही करायी थी। अखबार में गुमशुदगी का विज्ञापन निकलवाया की नही उसे नही पता। युसुफ से कोई पूछताछ हुई या नही, उसे नही पता। उन्होने जहां जहां संभावना थी, उसे तलाश किया, रिश्तेदारियों में उसे तलाश किया। उसकी देवेश से गायब होने के दो महीने पहले बात हुयी थी।

वादी ने अपने भाई देवेश कुमार के गुम होने के सम्बन्ध में जो प्रार्थना पत्र थाने में दिया है, उसकी छाया प्रति पत्रावली में लगायी है जो कागज संख्या–11सी1 है, जो कि साक्ष्य में ग्रहय नही है। वादी ने अपने भाई देवेश कुमार को ढूढने के सम्बन्ध में कोई सूचना अखवार में नही निकलवायी। उसने स्वंय अपनी जिरह में कहा है कि देवेश कुमार के गायब होने का विज्ञापन दिया था, किस अखवार में दिया था तथा किस दिनांक को दिया था, उसे पता नही है, पत्रावली में शामिल नही किया है। उसने स्वंय इस बात को स्वीकार किया है कि उसने अपने भाई देवेश कुमार के गुम होने की कोई सूचना अखवार में नही करायी थी और पत्रावली में भी ऐसा कोई अखवार साक्ष्य के रूप में नही लगाया है जिससे वादी के अपने भाई देवेश कुमार को ढूढने के भरसक प्रयास साबित हो सके। उसने अपने भाई देवेश कुमार के वर्ष 2002 से गुम होने के बाद उसकी गुमशुदगी के कोई इश्तहार या पर्चा नही छपवायें। जिससे कोई उसके भाई देवेश कुमार के जीवित होने के बारे में कोई सूचना देता। वादी की ओर से किसी आम जनता के व्यक्ति को साक्ष्य में परीक्षित नही कराया है, जो कि यह बता सके कि उसके भाई देवेश कुमार को जीवित नही देखा गया है और न ही उसके

जीवित होने के बारे में सुना गया है। इससे यह प्रतीत होता है कि वादी ने अपने भाई देवेश कुमार को ढूढने के भरसक प्रयास नही किये है और न ही देवेश कुमार को ढुढने के प्रयास के सम्बन्ध में पर्याप्त साक्ष्य पत्रावली में लगायी है और न ही मौहम्मद युसफ जो उसके भाई देवेश को बहला फुसलाकर ले गया है, उसके विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही की गयी है। वादी एवं वादी साक्षी पी.डब्लू.2 ने स्वंय इस बात को स्वीकार किया है कि मौ0 युसुफ के सम्बन्ध में कोई कानूनी कार्यवाही नही की गयी है। थाने से कोई प्राप्त आख्या पत्रावली में नही लगायी गयी है कि उसके भाई देवेश कुमार का कोई पता नही चला है।

अतः वादी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अपने भाई देवेश कुमार को उसके अप्रैल 2002 से लापता होने की वजह से मृतक घोषित करा पाने का अधिकारी नही है। तदनुसार यह वाद बिन्दु वादी के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या :2–

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद का मूल्यांकन कम किया गया?

उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण न्यायालय आदेश दिनांक 04.10.2017 के द्वारा किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का अंश रहेगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या :3–

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?

उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण न्यायालय आदेश दिनांक 24.10.2017 के द्वारा किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का अंश रहेगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 4 :–

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वाद की सुनवायी का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त नही है?

उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण न्यायालय आदेश दिनांक 31.10.2017 के द्वारा किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का अंश रहेगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या–5 –

यह वाद बिन्दु अनुतोष से सम्बन्धित है।

वाद बिन्दु संख्या–1 के निस्तारण से यह बात स्पष्ट रूप से सामने आयी है कि वादी ने अपने भाई देवेश कुमार को ढूढने के भरसक प्रयास नही किये है और उसने जो अनुतोष अपने वादपत्र में मांगा है, वह यह है कि सम्बन्धित ब्लॉक को निर्देश दिया जाये कि वह आदेश का अनुपालन मृत्यु रजिस्टर में अंकित करे। यह अनुतोष वाद बिन्दु संख्या–1 वादी के विरूद्ध निर्णीत होने की वजह से, वादी इसे पाने का अधिकारी नही है और न ही वादी अपने भाई देवेश कुमार जो कि लापता है, उसको मृतक घोषित करा पाने का अधिकारी है। अतः वादी वादपत्र में चाहे गये कोई भी अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

वादी का वाद निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

वादी का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध बाबत घोषणा निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 24.08.2018

(नुपूर)
लघुवाद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उदघोषित किया गया।

दिनांकः 24.08.2018

(नुपूर)
लघुवाद न्यायाधीश,
बुलन्दशहर।